

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 41608-11

/वसूली/2017-18

दिनांक: 09.03.18

समस्त शाखा प्रबन्धक

महत्वपूर्ण


उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

कृपया पत्र के साथ संलग्न आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं०-7959-62/वसूली/भू०वि०बैं०/2017-18, दि० 05.03.2018, जो समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उ०प्र० को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। सन्दर्भित पत्र इस अपेक्षा के साथ समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ०प्र०, को निर्गत किया गया है कि "जनपद/मण्डल की शाखाओं की देयों की वसूली की समीक्षा अपने निर्देशन में राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक जनपद/मण्डल के प्रबन्धकों के साथ बुलाकर पाक्षिक रूप से नियमित समीक्षा भी करते रहें और मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त स्तर से कराते रहें तथा समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।" एवं इस बैंक के देयों की वसूली में विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षित प्रगति लायें।

उक्त पत्र आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा अपने जनपद/मण्डल के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ०प्र०, से उक्त पत्र के साथ सम्पर्क कर बैंक देयों की वसूली को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें तथा शाखा/जनपद स्तर पर कुल लम्बित विभागीय कार्यवाही(95'क') एवं आर०सी० से आच्दादित बकायेदरों से वसूली हेतु सहकारिता/राजस्व विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर वसूली में अपेक्षित प्रगति लायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर की जायेगी।

संलग्न-यथोपरि।


(के०पी० सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि० प्र०का०/प्रशि०केन्द्र को, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र० लखनऊ, के पत्र को इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित कि वह पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं निर्देशों का परिपालन कराते हुए अपने मण्डल के शाखाओं की वसूली का गहन अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार स्वयं सहायक निबन्धक/संयुक्त निबन्धक/जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त/से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से सम्पादित किया जाय।
2. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का० लखनऊ, को बैंक की शाखाओं को ई०मेल कराने हेतु।
3. निजी सचिव आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० को, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र०, महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(आर०बी० गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)

